कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

NAAC GRADE - " C "

क्रमांक 114/जभास/2024 बोड़ला दिनांक 4.9.2024

Mail ID- collegebodla@gmail.com

जनभागीदारी समिति–सामान्य परिषद का गठन

क.	नाम	पता	पद
1.	श्री नरेश चंद्रवंशी मो.	जनपंद सदस्य क्षेत्र कं.09 न.पं.बोड़ला, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)	अध्यक्ष
2.	....	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बोड़ला	उपाध्यक्ष
3.	....	सांसद प्रतिनिधि	सदस्य
4.	....	विधायक प्रतिनिधि	सदस्य
5. अ.	अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.सेवा बोड़ला	उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपायोग करने वाले स्थानीय संगठन बोड़ला	सदस्य
ब.	श्री राजेन्द्र तिलकवार मोबा.नं.	उद्योग प्रतिनिधि बोड़ला वार्ड क.08 बोड़ला	सदस्य
स.	श्री संदीप गुप्ता मोबा.नं.	स्थानीय संस्था प्रतिनिधि वार्ड क. 08 बोड़ला	सदस्य
द.	श्री कुलदीप चंद्रवंशी मोबा.नं.	दानदाता वार्ड क.06 बोड़ला	सदस्य
इ.	श्री विजय तिलकवार मोबा.नं.	कृषक प्रतिनिधि ग्राम खैरबना, घोघा	सदस्य
फ.	1.प्राचार्य	पोषक शाला प्रतिनिधि शा.उ.मा.विद्या.बोड़ला	सदस्य
	2.प्राचार्य	पोषक शाला प्रतिनिधि शा.उ.मा.विद्या.पोंड़ी	सदस्य
6. अ.	श्री संत वर्मा मोबा.नं.	अभिभावक प्रतिनिधि ग्राम–तरेगांव मै. बोड़ला	सदस्य
ब.	श्री नरेश मानिकपुरी मोबा.नं.	अभिभावक प्रतिनिधि वार्ड 05, बोड़ला	सदस्य
स.	श्री ओमप्रकाश मानिकपुरी मोबा.नं.	पूर्व छात्र प्रतिनिधि ग्राम–तरेगांव मै. बोड़ला	सदस्य
द.	श्री शिवम केशरवानी मोबा.नं.	पूर्व छात्र प्रतिनिधि वार्ड कमांक 07, बोड़ला	सदस्य
	श्री नीतिन वर्मा	पूर्व छात्र प्रतिनिधि ग्राम– बैहरसरी, बोड़ला	सदस्य
7. अ.	श्री लक्ष्मण सत्यवंशी मोबा.नं.	अनु.जा.अभिभावक प्रतिनिधि वार्ड क. 06, बोड़ला	सदस्य
ब.	श्री प्रताप धुर्वे मोबा.नं.	अनु.ज.जा.अभिभावक प्रतिनिधि ग्राम– भलपहरी बोड़ला	सदस्य
स.	श्री आशाराम चंद्रवंशी मोबा.नं.	अ.पि.व. अभिभावक प्रतिनिधि ग्राम–नेऊरगांव कला, बोड़ला	सदस्य
द.	श्री अरविंद अवस्थी	वार्ड 03 बोड़ला,	सदस्य
8.	मीनाक्षी जोशी मोबा.नं.	महिला अभिभावक सदस्य वार्ड क. 08, बोड़ला	सदस्य
9.	....	वि.वि.अनुदान आयोग नई दिल्ली भारत	सदस्य
10.	श्री आर.के.पाठक	प्राचार्य,शास.स्वामी विवेकानंद महावि. बोड़ला, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)	सदस्य/सचिव

PRINCIPAL
Govt.Swami Vivekanand College
BODLA, Distt.-Kabirdham [C.G.]

Scanned with OKEN Scanner

सूचना

शासकीय स्वामी विवेकानंद महा. बोड़ला जिला कबीरधाम म प्राचार्य श्री आर के पाठक सर के आदेशानुसार दिनांक 07/08/24 को महिला उत्पीड़न एवं आंतरिक परिवाद समस्या निवारण समिति का गठन किया जाता है जिसमे सभी महिला उत्पीड़न समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दिनांक को महाविद्यालय के बैठक मे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

PRINCIPAL
Govt. Swami Vivekanand College
BODLA, Distt. Kabirdham (C.G.)

आदेशानुसार

(01) श्री मति अन्नपूर्णा शर्मा — Sharma
(02) कुमारी प्रिया राठौर — Priya
(03) चन्द्रयशवी कोशले
(04) वासनी
(05) ऐश्वर्या साहू

बैठक

आज दिनांक 13/08/23 को शा. स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला जिला कबीरधाम छ.ग. महिला उत्पीड़न एवं आंतरिक परिवाद समस्या निवारण समिति का गठन किया गया। जिसमे महाविद्यालय के महिला (बालिकाओं) के समस्या निवारण के लिए यह समिति कार्य करेगी एवं समस्या का निवारण कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

समिति के सदस्य

(01) श्री मति अन्नपूर्णा शर्मा - अध्यक्ष — Sharma
(02) कुमारी प्रिया राठौर - Priya
(03) शिवरानी मेरावी
(04) रेखा टेकाम
(05) ऐश्वर्या साहू

क्र.	नाम	पिता का नाम	कक्षा	हस्ताक्षर
1	यशोदा पटेल	बिसेलाल	BA I	Yashoda
2	यशोदा तिलगाम	कंवल सिंह	BA I	Yashoda
3	काजल पटेल	रामावतार	BA II	Kajal Patel
4	कमलेशिया पटेल	सुरीत	B.A II	Kamleshiya
5.	सुमन चन्द्रवंशी	श्री. [illegible]	B.Sc II	Sumant
6	राधिका साहू	श्री बरतु साहू	B.Sc II	[illegible]
7	कामनी गुप्ता	श्री सन्त गुप्ता	B.Sc III	Kamni
8	कविता वनागर	श्री रमेश वनागर	B.Sc III	[illegible]

PRINCIPAL
Govt. Swami Vivekanand College
BODLA, Distt. Kabirdham (C.G.)

सूचना

दिनांक 03/08/2023

शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला जिला-कबीरधाम में ~~उपस्थित~~ / कार्यरत / पदस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि 17/08/23 को परिवेदना निवारण समिति का गठन किया जाना है। जिसमें आप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्रभारी
IQAC
COORDINATOR
GOVT. SWAMI VIVEKANAND COLLEGE
BODLA, DISTT. KABIRDHAM

आदेशानुसार
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Swami Vivekanand College
Bodla, Distt-Kabirdham (C.G)

बैठक

दिनांक-17/08/2023

आज दिनांक 17/08/2023 को शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय बोड़ला में आदरणीय प्राचार्य श्री आर० के० पाठक के अध्यक्षता में परिवेदना निवारण विषय के सम्बन्ध में प्राप्त हुए शिकायत एवं आवेदनों के बारे में अवगत कराया गया और परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया।

समिति के संयोजक एवं सदस्यगण

संयोजक — श्री आर० के० पाठक (प्राचार्य)
आई० क्यू० ए० सी० प्रभारी — श्री उमेश कुमार पाठक
सदस्य — सहा. प्राध्यापक - श्री सनत कुमार देवांगन
सदस्य — सहा. प्राध्यापक श्री राकेश कुमार गौतम
सदस्य — सहा. प्राध्यापक श्री योगेश कुमार ध्रुव
सदस्य — पुरुषोत्तम भारद्वाज अतिथि व्याख्याता
सदस्य — टीकम चंद नवरंग अति. व्या.
सदस्य — शंकर प्रसाद अति. व्या.
सदस्य — अन्नपूर्णा शर्मा अति. व्या.
सदस्य — बालकदास भार्गव अति. व्या.
सदस्य — हरीश सोंधिया अति. व्या.
सदस्य — बरखा नाग अति. व्या.

प्रभारी
आई. क्यू. ए. सी.
COORDINATOR
GOVT. SWAMI VIVEKANAND COLLEGE
BODLA, DISTT. KABIRDHAM

PRINCIPAL
Govt. Swami Vivekanand College
Bodla, Distt-Kabirdham

शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय

बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

विवरणिका

वर्ष 2021-22

Web site : govt.gsvcbodla.in

Email : collegebodla@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

प्राचार्य की कलम से....

प्राचार्य की कलम से...

प्रिय विद्यार्थियों एवं पालको !

शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला की स्थापना सन् 2007 में की गई। इस महाविद्यालय में स्नातक के स्तर पर तीन संकायो में क्रमशः कला, विज्ञान वाणिज्य एवं स्नातकोत्तर (एम.ए.समाज शास्त्र) में अध्यापन होता है।

हेमचंद यादव विश्व विद्यालय रायपुर से संबंध यह महाविद्यालय राज्य शासन एवं जनभागीदारी समिति के द्वारा प्राप्त अनुदानों से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर एवं उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। अपनी विशिष्ट कार्य संस्कृति के बल पर हम अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।

महाविद्यालय की नवगठित सक्रिय जन-भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय श्रीमती शशि देवी खरे जी है, जिनके उत्साहवर्धक प्रयासों एवं सतत् सहयोग से यह महाविद्यालय समग्र विकास के पथ पर आगे बढ़ने को प्रयासरत है।

हमारा उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र विकास के साथ विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करना है। राज्य शासन की प्रेरणा व मार्गदर्शन से समस्त महाविद्यालय परिवार, जनभागीदारी समिति एवं अन्य संस्थाओं के आपसी सामजस्य से शिक्षा, अनुसंधान एवं शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुये भारतीय संस्कृति एवं निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए वचनबद्ध है।

प्रिय विद्यार्थियों! हम आप सबका नये सत्र में हार्दिक स्वागत करते है। हम आपको विश्वास दिलाते है कि आप इस संस्था के समब्द्ध शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से उल्लासित एवं प्रभावित होंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

आर. के. पाठक
प्राचार्य

Scanned with OKEN Scanner

Core Values (कोर वेल्यूज)

- Unity and Intergrity — एकता व अखण्डता
- Love & Peace For Everyone. — सभी के लिये प्रेम तथा शांति
- Team Work & Shared Responsibility — सामूहिक भावना उत्तरदायित्वों की भागीदारी
- Mutual Respectand Transparencyrency. — आपसी आदर एवं पारदर्शिता

Goals & Objectives (लक्ष्य एवं उद्देश्य)

1. To, achieve the best possible standards in education, research and out reach programmes.
   शिक्षा, अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों में संभव गुणवत्ता प्राप्त करना।

2. To promote academic programmes relevant to socioeconmic needs of the nation.
   राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक अकादमिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन

3. To promote networking with various centers/department and labs around the country
   राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं व प्रयोगशालाओं के साथ संबंध बनाये रखना।

4. To promote skill oriented programmes.
   विभिन्न क्षेत्रों में कुशलोन्मुखी कार्यक्रमों को विकसित करना।

5. To enhance the quality of learning and teaching process at U.G. level.
   स्नातक स्तर पर अध्ययन एवं अध्ययन की गुणवत्ता को बढ़ाना।

6. To bring forword the inherent talents of students and encourage creativity.
   विद्यार्थियों की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना तथा सीखने हेतु रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना।

7. To develop awareness towards social & enviromental problems.
   सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

Scanned with OKEN Scanner

प्रवेश शुल्क संबंधी विवरण

महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही छात्रों का प्रवेश मान्य होगा।

- शासकीय शुल्क -

1.	प्रवेश शुल्क 2+3	05.00
2.	लेखन सामग्री शुल्क	03.00
3.	टी.सी. शुल्क	02.00
4.	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
5.	शिक्षण शुल्क (ओ.बी.सी., सामान्य)	115.00
6.	प्रयोग शाला शुल्क	20.00

- अशासकीय शुल्क -

1.	सम्मिलित निधि	32.00
2.	परिचय पत्र शुल्क	50.00
3.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	90.00
4.	रेडक्रास शुल्क	25.00 40.00
5.	म. वि. विकास शुल्क	25.00
6.	छात्र कल्याण शुल्क (निर्धन)	10.00
7.	चिकित्सा शुल्क	05.00
8.	छात्र कामन रूम शुल्क	25.00
9.	छात्र संघ/युवा गतिविधि	20.00
10.	अवधान राशि शुल्क	60.00
11.	वाचनालय शुल्क	20.00
12.	क्रीडा शुल्क	25.00
13.	आंतरिक परीक्षा शुल्क	50.00 70
14.	ग्रंथालय कार्ड शुल्क महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	05.00 100/-

टीप - अशासकीय शुल्क की राशि परिवर्तनीय है। छात्र-छात्राओं के हित में कुछ मद जोड़ कर राशि बढ़ाया जा सकता है।

- विश्वविद्यालयीन शुल्क -

1.	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
2.	वि.वि. छात्र कल्याण शुल्क	10.00
3.	वि.वि. ग्रंथालय शुल्क	20.00
4.	अप्रवजन शुल्क (अ.वि.वि.से आये छात्रों के लिए)	60.00
5.	नाम परिवर्तन शुल्क (विवाहोपरांत)	50.00
6.	वि.वि. युवा गतिविधी शुल्क	01.00

- जनभागीदारी शुल्क -

1.	विकास शुल्क	300.00 400.00

Scanned with OKEN Scanner

प्रवेश शुल्क संबंधी विवरण

महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही छात्रों का प्रवेश मान्य होगा।

- शासकीय शुल्क -

1.	प्रवेश शुल्क 2+3	05.00
2.	लेखन सामग्री शुल्क	03.00
3.	टी.सी. शुल्क	02.00
4.	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
5.	शिक्षण शुल्क (ओ.बी.सी., सामान्य)	115.00
6.	प्रयोग शाला शुल्क	20.00

- अशासकीय शुल्क -

1.	सम्मिलित निधि	32.00	
2.	परिचय पत्र शुल्क	50.00	
3.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	90.00	
4.	रेडक्रास शुल्क	25.00	40.00
5.	म. वि. विकास शुल्क	25.00	
6.	छात्र कल्याण शुल्क (निर्धन)	10.00	
7.	चिकित्सा शुल्क	05.00	
8.	छात्र कामन रूम शुल्क	25.00	
9.	छात्र संघ/युवा गतिविधि	20.00	
10.	अवधान राशि शुल्क	60.00	
11.	वाचनालय शुल्क	20.00	
12.	क्रीडा शुल्क	25.00	
13.	आंतरिक परीक्षा शुल्क	50.00	70
14.	ग्रंथालय कार्ड शुल्क महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	05.00	100/-

टीप - अशासकीय शुल्क की राशि परिवर्तनीय है। छात्र-छात्राओं के हित में कुछ मद जोड़ कर राशि बढ़ाया जा सकता है।

- विश्वविद्यालयीन शुल्क -

1.	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
2.	वि.वि. छात्र कल्याण शुल्क	10.00
3.	वि.वि. ग्रंथालय शुल्क	20.00
4.	अप्रवजन शुल्क (अ.वि.वि.से आये छात्रों के लिए)	60.00
5.	नाम परिवर्तन शुल्क (विवाहोपरांत)	50.00
6.	वि.वि. युवा गतिविधी शुल्क	01.00

- जनभागीदारी शुल्क -

1.	विकास शुल्क	300.00	400.00

Scanned with OKEN Scanner

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग

महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

प्रवेश नियम - 2

कंडिका 2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-**

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि सूचना पटल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

कंडिका 2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि :-**

31 जुलाई ~~15~~ सितंबर तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त ~~30 सितम्बर~~ तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में समक्ष होगे (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से प्रारंभ होगा ।

कंडिका 2.3 **पुनर्मूल्यांन में उत्तीर्ण छात्रो के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारण करना :-**

पुनर्मूल्यांन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित वि.वि. के कुलपति के अनुमति के पश्चात महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा ।

कंडिका 4 **प्रवेश सूची :-**

कंडिका 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की आर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों के गुणांनुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सुचना पटल पर लगायी जावेगी। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा ।घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार विलम्ब शुल्क 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से जमा किया जावेगी ।

प्रवेश की पात्रता :-

छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छ.ग.में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य/केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी/अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी/राष्ट्रीय कृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है उनके पुत्र / पुत्रियां एवं जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी सीान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं आर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। संबंद्ध विश्वविद्यालय या संबंद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से आर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी। आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जावेगा

कंडिका 5 **स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश :-**

क/ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदको को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

ख/स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष की परीक्षार्थी को द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए उन्ही विषयों का चयन करना होगा जो प्रथम वर्ष में विषय चयनित था। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

बी.काम., बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/ बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.काम./एम. एस.सी. (गृह विज्ञान) एम.ए.पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी/एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

कंडिका 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :- किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शिक्षण विभाग के किसी भी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय के उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रो/अधिकारियो कर्मचारियो के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / अधिकारियों कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने कें गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नही हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नही देने के लिये प्रचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड फोड़ करने व महाविद्यालय के संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र-छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/ प्रवेश न देने के लिए प्रचार्य अधिकृत है ।

कंडिका 9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :- बंधन नहीं है।

कंडिका 12 छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगी:-

32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए 14 प्रतिशत अन्य पिछडे वर्गों के लिए अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में आरक्षित रहेगी।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के पुत्र तथा पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर दोनो वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए सथान सुरक्षित है। समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा । आरक्षण के प्रावधन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

कंडिका 12.10 तृतीया लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में कमांक डब्ल्यू.पी(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॅरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - direct the Centre and the State Government to take Staps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational instution and for pulic appointments" का कड़ाई से पालन किया जाए ।

Scanned with OKEN Scanner

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा अधिभार हेतु समसत प्रमाण - पत्र प्रवेश आवेदन - पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्रा सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :-

स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे ।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट — 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 03 प्रतिशत

(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीया सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को — 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को — 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेस

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रो के माध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेस एन.सी.सी. /एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं एवं प्रवास करने वाले कैडेस को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियो को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थीयों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनाय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्यक्त सीान प्राप्त करने वाले को — 04प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तक्षेत्रिय राष्ट्रीय प्रतियोगिता अथवा भारती विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रिय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग /क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

Scanned with OKEN Scanner

(ख) प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वानी टीम के सदस्यो को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिध्त्वि करे वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रो के माध्य यूथ साईन्स एवं कल्वरल एक्सचंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.5 छततीसगढ़ शासन /म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छततीसगढ़ शासन /म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम , द्वितीय , तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रित को 01 प्रतिशत

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकरउनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नाताकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरा संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या पिलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनो तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थीयों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थि के समकक्ष या उससे अधिक हों ।

16 विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यो प्रशासकीय अथवा कार्यलयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्रचार्य को होगा ।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थि को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्रचार्य को होगा ।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थि को प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थि द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थि को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शक की आवश्यकता होने पर प्रचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण /मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे प्रवेश संबंधित किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में उल्लेखित प्रवधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन /संशोधन /निरसर/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी मार्गदर्शिका नियम

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश -

(अ) महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं को निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र (विवरण पत्रिका में संलग्न) भरकर जमा करना होगा। आवेदन पत्र में छात्र एवं पिता अथवा पालक के हस्ताक्षर अनिवार्य है। अपना आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों सहित प्रस्तुत करें -

प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करते समय -

(1) विद्यालय/महाविद्यालय का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.)
(2) पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की 2 सत्यापित छाया प्रति।
(3) जन्म प्रमाण पत्र (इस हेतु कोई हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची की 2 सत्यापित छाया प्रति)
(4) जाति प्रमाण पत्र
(5) निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
(6) माता-पिता के छ.ग. के तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र ।
(7) अध्ययनक्रम में अंतराल होने पर प्रमाण-पत्र (गैप)
(8) विकलांग/निःशक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
(9) प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अतिरिक्त अन्य किसी मंडल या विश्वविद्यालय का हो।

द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए -

(1) प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
(2) आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण पत्र (आय,जाति, निवास एवं 10 वीं सत्य प्रतिलिपि)
(3) प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति।

नोट : (1) प्रवेश शुल्क वांछित प्रमाण पत्रों सहित जमा होने पर ही संपन्न माना जावेगा।
(2) प्रवेश प्राप्त करते समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जमा करना होगा। द्वितीय प्रति अपरिहार्य परिस्थितियों में शपथ पत्र देने के उपरांत सम्यक जांच कर प्रवेश दिया जावेगा एवं ऐसे छात्रों को स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश दिया जायेगा।
(3) किसी भी छात्र को प्रवेश की सूचना घर नही भेजी जायेगी। प्रतिदिन सूचना पटल देखना अनिवार्य होगा।
(4) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को जो इसी महाविद्यालय के है उन्हें केवल आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

परिचय पत्र -

- महाविद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश संपन्न होने के उपरांत उसे एक परिचय पत्र प्रदान किया जायेगा। महाविद्यालय की गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेते समय तथा महाविद्यालय में किये जाने वाले समस्त व्यवहारों के समय प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पुराने छात्र अपना परिचय पत्र जमा करके नया परिचय पत्र प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक महाविद्यालय दिवस में परिचय पत्र होना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण-संहिता

सामान्य निमय -

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मित्व्ययों जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आंतक फेलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा। तथा अपना मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा सीापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दंड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षो, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचनण माना जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय - सीमा में शुल्क का भुगतान नही करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा, अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिए विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबंद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबंद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिए लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिए यह परिनियम प्रचलन में नही होगा।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा।

अ. शारीरिक आद्यात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दंड देना।

ब. मानसिक आद्याात जैसे मानसिक कलेश पहुंचाना, पीटना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना।

स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले बाहरी असमाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।

4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किया जायेंगे। इस हेतु प्राक्टोरियल द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्राक्टर कहलायेंगें
5. प्राक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा।

(क) महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिए निष्कासन।

(ख) राज्य के किसी भी महाविद्यालय या / विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।

(ग) दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबंधित होगा।

(घ). महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को वृस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे। और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नही होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।

(ड़) कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही की प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नही कर सकेगा।

(च) यदि रैगिंग का कृत्य किसी भी पूर्व छात्र अथवा छात्राा द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।

इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

★-★-★-★-★

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षक संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा।

2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा-4 के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

3. ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकर के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नही दिया जावेगा।

रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक सी/445/21-अ (प्रारूपण) 2002 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं को प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र. 27 सन् 2001) का अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छततीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.सी. युद. अतिरिक्त - सचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय परिवार की गतिविधियाँ

Scanned with OKEN Scanner

अन्य सामान्य निर्देश

1. इस संस्था में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अनुशासन तथा पद व्यवहार का एक आदर्श इस संस्था में प्रस्तुत करेंगे।

2. यदि किसी विद्यार्थी के विरूद्ध दुराचरण दुर्व्यवहार या सतत् निष्क्रियता के गंभीर आरोप पाये गये तो प्राचार्य उन्हें महाविद्यालय से पृथक अथवा निलंबन कर सकता है।

3. यदि कोई विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र में त्रुटि पूर्ण जानकारी देता है तथा तथ्य छिपता है तो उसके प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

4. प्राचार्य इस विवरणिका के किसी भी नियम अथवा उपनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगे। जो भी नये निर्देश प्रभावशील होंगे वे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर अनिवार्य रूप से बंधनकारक होगा।

5. इस विवरणिका में दिये गये नियमों में यदि विवाद हो तो उसका निर्णय प्राचार्य द्वारा किया जावेगा।

समस्त मामलों में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

(आवेदन पत्र भरने के पूर्व विवरणिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें)
फार्म आवेदक द्वारा भरा जावे।

मूल्य 50.00 रू.

Scanned with OKEN Scanner

IQAC मीटिंग
रजिस्टर

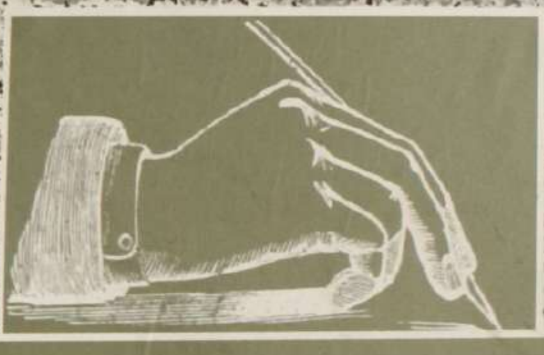

2023-24

बैठक सूचना

शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला जिला-कबीरधाम छ.ग. में आगामी दिनांक 18/08/23 को IQAC कक्ष में सम्बंधित आवश्यक बैठक रखी गई है। जिसमें आप सभी कि उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक का उद्देश्य निम्न है —

(01) शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधित चर्चा।

(02) IQAC का पुनर्गठन।

(03) चेयर पर्सन द्वारा प्रस्तावित अन्य विषय।

बैठक संबंधित विवरण

दिनांक :- 18/08/23

समय :- 2:30 pm दोपहर

स्थान :- शा. स्वामी विवेकानंद महा. बोड़ला जिला कबीरधाम

नाम	हस्ताक्षर
01. श्री उमेश पाठक	
02. श्री ललत कुमार देवांगन	
03. श्री राकेश कुमार गौतम	
04. श्री योगेश ध्रुव	
05. श्री संदीप बघेल	
06. श्री मति अन्नपूर्णा शर्मा	Sharma
07. श्री शंकर साहू	
08 श्री पुरवराज मोरध्वज	
09 टीकम चंद नवरंग	
10. श्री आर. आर. भोसले	

PRINCIPAL
Govt. Swami Vivekanand College
Bodla, Distt-Kabirdham(C.G.)

CO-ORDINATOR IQAC
GOVT. SWAMI VIVEKANAND COLLEGE
BODLA, DISTT.-KABIRDHAM

IQAC बैठक सत्र 2023-24

Page: 17
Date: / /

आज दिनांक 18/08/23 को IQAC कि आवश्यक बैठक रखी गई है। जिसमें IQAC का पुनर्गठन किया गया एवं निम्न विषय पर चर्चा किया गया —

विषय	चर्चा / निर्णय
IQAC का पुनर्गठन	आज शा. स्वामी विवेकानंद महा. बोड़ला में IQAC का पुनर्गठन किया गया और IQAC प्रभारी श्री उमेश पाठक जी को पुन: IQAC प्रभारी के रूप में चुना गया
शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधित चर्चा	01 शिक्षकों को कक्षाएं 01/07/23 से नियमित कक्षाएं प्रारंभ करने एवं समय-सारणी के अनुसार पढ़ाने का निर्देश दिया गया।
	02 विद्यार्थियों के ज्ञान के विकास के लिए यूनिट टेस्ट 28/08/24 अनिवार्य किया गया।
	03 ग्रंथालय से पुस्तक वितरण को भी सुचारु रूप से किए जाने पर जोर दिया गया।

उप. शिक्षकों का हस्ता.

Sharma

CO-ORDINATOR IQAC
GOVT. SWAMI VIVEKANAND COLLEGE
BODLA, DISTT.-KABIRDHAM

PRINCIPAL
Govt Swami Vivekanand College
Bodla. Distt-Kabirdham (C.G.)

04/09/23

Page : 18

Date : / /

बैठक सूचना

शा. स्वामी विवेकानंद महा. बोड़ला जिला कबीरधाम में दिनांक 08/09/23 को IQAC बैठक से संबंधित बैठक रखा गया है जिसमे सभी कि उपस्थिति अनिवार्य है।

01. शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधित चर्चा
02. IQAC का कार्य पर विश्लेषण
03. क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट पर चर्चा

बैठक संबंधित विवरण

दिनांक :- 08/09/23

समय :- 2:30 दोपहर

स्थान :- GSVC बोड़ला

01. श्री उमेश पाठक
02. श्री सरत कुमार देवांगन
03. श्री डाकेश गौतम
04. श्री योगेश ध्रुव
05. श्री संदीप बघेल
06. श्रीमति अन्नपूर्णा शर्मा
07. श्री पुरवराज भारद्वाज
08. श्री शंकर साहू
09. श्री टीकम चंद नवरंग

CO-ORDINATOR IQAC
GOVT. SWAMI VIVEKANAND COLLEGE
BODLA, DISTT.-KABIRDHAM

PRINCIPAL
Govt. Swami Vivekanand College
Bodla.Distt-Kabirdham(C.G.)

IQAC बैठक

Page: 13

08/09/23

आज दिनांक 08/09/23 को IQAC का आवश्यक बैठक रखा गया है। जिसमें IQAC का कार्य पर विश्लेषण एवं निम्न विषय पर चर्चा किया गया —

विषय	चर्चा / निर्णय
IQAC का कार्य पर विश्लेषण	NAAC के सभी क्राइटेरिया पर विस्तार पूर्वक चर्चा कि गई।
शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधित चर्चा	(01) सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि यूनिट टेस्ट इकाइयां और दिनांक सुनिश्चित किया गया।
	(02) स्मार्टबोर्ड ~~लगाया~~ लगाकर स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया।
पर्यावरण से संबंधित	माह में पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु दिनांक सुनिश्चित किया गया।

हस्ताक्षर :

Sharma

CO-ORDINATOR IQAC
GOVT. SWAMI VIVEKANAND COLLEGE
BODLA, DISTT.-KABIRDHAM

PRINCIPAL
Govt Swami Vivekanand College
Bodla.Distt-Kabirdham(C.G.)

06/12/23

Page: 20

सूचना

श्री स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला जिला कबीरधाम मे आगामी दिनांक 13/12/23 को IQAC बैठक के, संबंधित आवश्यक बैठक रखा गया है। जिसमें सभी कि उपस्थिति अनिवार्य है।

(01) AQAR भरने हेतु चर्चा
(02) अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु चर्चा
(03) युवा उत्सव चर्चा
(04) खेल कूद पर चर्चा

बैठक संबंधित विवरण
समय :- 2:30 दोपहर
दिनांक :- 13/12/23
स्थान :- IQAC कक्ष (04)

01. श्री उमेश पाठक
02. श्री सनत कुमार देवांगन
03. श्री राकेश गौतम
04. श्री योगेश ध्रुव
05. श्री संदीप बघेल
06. श्री मति अन्नपूर्णा शर्मा
07. श्री पुखराज भारद्वाज
08. श्री शंकर साहू
09. श्री रीकेश चंद नवरंग

CO-ORDINATOR IQAC
GOVT. SWAMI VIVEKANAND COLLEGE
BODLA, DISTT-KABIRDHAM

PRINCIPAL
Govt Swami Vivekanand College
Bodla Distt-Kabirdham(C.G.)

IQAC बैठक

13/12/24

Page: 21

आज दिनांक 13/12/23 को IQAC के प्रभारी श्री उमेश साहू सर के द्वारा IQAC का बैठक रखा गया। जिसमें निम्न विषयों पर चर्चा किया गया —

विषय	चर्चा / निर्णय
AQAR भरने हेतु चर्चा	NAAC को AQAR 2023-24 को भरने हेतु क्राइटेरिया वाइस चर्चा किया गया।
अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु चर्चा	दिसंबर माह में सभी संकाय का अर्द्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने एवं समय सारणी के अनुरूप सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया।
युवा उत्सव	युवा उत्सव महा. में आयोजित करने एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों का सहभागिता के लिए निर्णय लिया गया
खेल-कूद	महा. में सत्र 2023-24 का वार्षिक खेल-कूद आयोजित करने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न कराने के लिए निर्णय लिया गया।

हस्ताक्षर

Sharma

CO-ORDINATOR IQAC
GOVT. SWAMI VIVEKANAND COLLEGE
BODLA, DISTT.-KABIRDHAM

PRINCIPAL
Govt. Swami Vivekanand College
Bodla Distt-Kabirdham(C.G.)